जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / मु.अ.(मु.) / अ.अ.(आर.ए.–सी.) / फा / प्रे. 1074 दि. 17.11.17

आदेश

विषयः– ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के अनाधिकृत विद्युत कनेक्शनों को नियमित करने हेतु।

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के अनाधिकृत विद्युत कनेक्शनों को नियमित करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश आदेश संख्या वाणिज्य / जोधपुर डिस्कॉम-733 दिनांक 07.10.2016 द्वारा जारी किये गये थे। किन्तु यह पाया गया है कि अभी भी कुछ पेयजल योजनाओं / जल–स्त्रोत पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत निगम में सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इसी क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन करने पर स्थापित एलटी तंत्र से तकनीकी रूप से साध्य होने पर उपरोक्त अनाधिकृत विद्युत कनेक्शनों को नियमित किया जा सकता है। यह सुविधा उन्हीं आवेदकों को देय होगी, जो आठ घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के अनुसार आवेदित भार मय 100 प्रतिशत लोड–फैक्टर मानते हुए गत 6 माह की आंकलित विद्युत राशि एवं मांग पत्र की राशि जमा कराने को तैयार है। कनेक्शन के लिये मीटर (LPR) पोल पर लगाया जायेगा।

कनेक्शन जारी होने के पश्चात् नियमित बिल संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा जारी होना सुनिश्चित किया जावेगा एवं संबंधित पंचायत द्वारा देय होगा। जिन पेयजल योजनाओं पर नियमानुसार नियमित कनेक्शन नहीं लिये जावेंगे, उनकी जांच के लिये सघन सतर्कता जांच अभियान चलाया जायेगा। सतर्कता जांच के दौरान विद्युत चोरी पाये जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

यह योजना दिनांक 31.01.2018 तक प्रभावी रहेगी।

आज्ञा से

17.11.17

(एम. आर. मीणा)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर